

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2236 /2020 दिनांक 27.11.2020

श्रीमती पल्लवी शर्मा (RJ0585), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को दिनांक 14.12.2020 से 24.12.2020 तक 11 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 12.12.2020 से 13.12.2020 एवं 25.12.2020 एवं 01.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के पद पर ही होने की सभावना है।

आज्ञा से

*Handwritten signature*

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक : 27-11-2020

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/83/2008/5403

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 7241 दिनांक 18.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती पल्लवी शर्मा (RJ0585), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।

*Handwritten signature*  
सहायक रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार  
8/12/20

